

प्रेस नोट

थाना समाधान दिवस—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में थाना समाधान दिवस के अवसर पर थानों में आयोजित समाधान दिवस में जनता की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुनकर उनके त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया—

आज दिनांक 10.02.2024 को थाना समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के साथ थाना कोतवाली देहात में जनसुनवाई की गई। महोदय द्वारा जनता की जनसमस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। थाना कोतवाली देहात में जनसुनवाई के दौरान कुल 09 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर भेजा गया। इसी प्रकार प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने अपने थानों पर समाधान दिवस पर आने वाले फरियादियों की शिकायतों को सुनकर उनके गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण कराया गया। समस्त थानों में कुल 145 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें 11 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कराया गया तथा शेष राजस्व संबंधित मामलों में राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर निस्तारण हेतु मौके पर भेजा गया।

इस दौरान राजस्व एवं पुलिस के अधि०/कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट

दिनांक 10.02.2024, थाना को0नगर,
जनपद गोण्डा।

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 02 किलो 500 ग्राम नाजायज गांजा बरामद—

कार्यवाही:—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी गोण्डा श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों—01.अयाज, 02. जावेद अली उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 किलो 500 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 10.02.2024 को थाना को0 नगर के उ0नि0 प्रेमानन्द मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि रानीजोत जाने वाले मार्ग पर अवैध मादक पदार्थ के साथ 02 व्यक्ति खड़े हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस बल द्वारा बताये गए स्थान पर घेराबन्दी कर अभियुक्त अयाज व जावेद अली उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 किलो 500 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0नगर में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. अयाज पुत्र स्व0 खुदा बख्श नि0 महारानीगंज घोसियाना थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. जावेद अली उर्फ गुड्डू पुत्र स्व0 साकिर अली नि0 महारानीगंज घोसियाना थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—83 / 2024, धारा 8 / 20 एनडीपीएस ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

अभियुक्त अयाज का आपराधिक इतिहास—

01. मु0अ0सं0—332 / 2023, धारा 8 / 20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0—736 / 2021, धारा 323,504,506,354 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0—227 / 2018, धारा 392,411 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0—108 / 2008, धारा 392,411 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

अभियुक्त जावेद अली उर्फ गुड्डू का आपराधिक इतिहास—

01. मु0अ0सं0—03 / 2023, धारा 147,148,308,323,427,504,506 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0—332 / 2023, धारा 8 / 20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0—339 / 2023, धारा 8 / 20, एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 02 किलो 500 ग्राम नाजायज गांजा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ०नि० प्रेमानन्द मय टीम ।

प्रेस नोट

दिनांक 10.02.2024

थाना मनकापुर पुलिस द्वारा लडकी को बहला-फुसला कर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित थाना मनकापुर पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0सं0-53/24, धारा 363,504,506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रदीप कुमार गौतम को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.02.2023 को थाना मनकापुर क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना मनकापुर में सूचना दी गयी कि प्रार्थी की बहन को विपक्षी प्रदीप कुमार गौतम द्वारा बहला-फुसलाकर कर भगा ले गया है। वादी की तहरीर पर थाना मनकापुर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना उ0नि0 योगेन्द्र सिंह को सुपुर्द की गयी थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 10.02.2024 को कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत आई0टी0आई0 मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. प्रदीप कुमार गौतम पुत्र पंचमराम नि0 तिहैता सिंह पुरवा कुड़ासन बाजार थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारी का स्थान-

शाहपुर बस स्टाप के पास से।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-53/24, धारा 363,504,506 भादवि थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 योगेन्द्र सिंह।
02. का0 सत्यम शिवम सिंह।
03. म0का0 रुबी देवी।

प्रेस नोट

दिनांक 10.02.2024

थाना मनकापुर पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित थाना मनकापुर पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0सं0-58/24, धारा 363,366 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त चन्द्रभान सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.02.2023 को थाना मनकापुर क्षेत्र के रहने वाली एक महिला द्वारा थाना मनकापुर में सूचना दी गयी कि उसकी लड़की को विपक्षी चन्द्रभान सिंह द्वारा बहला-फुसलाकर कर भगा ले गया है। वादिनी की तहरीर पर थाना मनकापुर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना उ0नि0 शिव कुमार यादव को सुपुर्द की गयी थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 10.02.2024 को कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मनवर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. चन्द्रभान सिंह पुत्र जसवंत सिंह नि0 ग्राम सहरिया कला थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारी का स्थान-

मनवर तिराहे के पास

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-58/24, धारा 363,366 भादवि थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 शिवकुमार यादव।

02. का0 आकाश कुमार।

03. का0 सत्येन्द्र कुमार।

प्रेस नोट

दिनांक 10.02.2024

थाना मनकापुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर ऐक्ट के 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार—

कार्यवाही:—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित थाना मनकापुर पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0सं0-16/24, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर ऐक्ट से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों-01. दुर्गेश कुमार, 02. संदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 09/10.02.2024 की रात्रि प्र0नि0 मनकापुर राजकुमार सरोज मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु रात्रि गस्त में रवाना थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि गैंगस्टर ऐक्ट के वांछित अभियुक्त आई0टी0आई0 मोड़ इटिहवा पुल के पास खड़े हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस बल द्वारा बताये गए स्थान पर घेराबन्दी कर अभियुक्त दुर्गेश कुमार व संदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों का एक आपराधिक गिरोह है जो भौतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु जनपद गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच आदि जनपदों से मोटरसाईकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. दुर्गेश कुमार पुत्र शेषराम नि0 चमनडिहवा रहमतपुर खास थाना सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर।
02. संदीप कुमार पुत्र मोतीलाल नि0 चमनडिहवा रहमतपुर खास थाना सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-16/24, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर ऐक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

- 01 .प्र0नि0 मनकापुर राजकुमार सरोज
02. का0 अनिल पटेल।
03. का0 पारस यादव।
04. चालक जय प्रकाश यादव।